न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 71/2013/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 24.9.2013
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. हेमराज
2. जगदीश

पिसरान दुर्गाशंकर जाति खाती निवासीगण ग्राम खटकड तहसील बूंदी जिला बूंदी।

... अपीलाट्स

बनाम

1. श्योजी
2. अशोक
3. सुरेश

पिसरान स्व0 बाबू जाति चमार निवासीगण ग्राम सुरगली तहसील नैंनवा जिला बूंदी।

4. अनिता
5. सुगना
6. मीरा

पुत्रिया स्व0 बाबू जाति चमार निवासी ग्राम सुरगली तहसील नैंनवा जिला बूंदी।

7. गंगाबाई बेवा स्व0 बाबू जाति चमार निवासी ग्राम सुरगली तहसील नैंनवा जिला बूंदी।
8. सत्यनारायण वल्द भूरा जाति खाती निवासी ग्राम खटकड तहसील बूंदी जिला बूंदी।
9. तहसीलदार नैनवा तहसील नैनवा जिला बूंदी।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक अपीलाट्स
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो.कम–9

:::निर्णय:::

दिनांक 22.3.2018

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 22/अपील/2012 अन्तर्गत धारा 75 ले0 रेवेन्यू एक्ट बउनवान हेमराज वगेरा बनाम श्योजी आदि मे पारित निर्णय दिनांक 26.12.2012 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलांट द्वारा भूमि ख0 सं0 45 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा ख0 सं0 50 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा ग्राम सुरगली तहसील नैनवा का स्व0 किशना आ0 प्रभू जाति चमार निवासी सुरगली के नाम तहसीलदार नैंनवा द्वारा पारित नामान्तरकरण सं0 34 आदेश दिनांक 16.7.1960 से अप्रसन्न होकर अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि अपीलांट के पिता स्वर्गीय दुर्गाशंकर एवं सत्यनारायण द्वारा क्रय शुदा है। उक्त भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व कब्जे काश्त की जांच नही की गई इसलिये नामान्तरकरण विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 19 के अनुसार किशना आ0 छोगा चमार को खातेदारी स्वीकृत करने से उक्त नामा0 की अपील

धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत पोषणीय नही होने तथा अपील मे किशना के सभी वारिसान को पक्षकार नही बनाया जाकर नामा0 सं0 34 की अपील 52 वर्ष बाद पेश की गई जो मियाद बाहर पेश की जो मियाद बाहर होने से अपने अधिकार के लिये सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र होना वर्णित करते हुये निर्णय दिनांक 26.12.2012 से अपील अपीलांट खारिज की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील मियाद बाहर होना मानकर खारिज करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गोर नही किया कि नामा0 सं0 34 अपीलांट के पिता दुर्गाशंकर एवं अपीलांट की अनुपस्थिति मे एवं उन्हे सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही तस्दीक किया गया था जिसकी सर्वप्रथम जानकारी की तारीख से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की गई थी इसलिये अपील पेश करने मे हुई देरी कंडोन की जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिये था। नामा0 सं0 34 गैरकानूनी, त्रुटिपूर्ण अधिकार विहिन था इसलिये मियाद का बिन्दू सुसंगत नही था। उक्त भूमि अपीलांट के पिता दुर्गाशंकर व सत्यनारायण ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 1.7.58 से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर भूमि पर काबिज काश्त हुये थे तहसीलदार ने भूमि के कब्जे काश्त की जांच नही कर नामा0 तस्दीक किया था जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गोर नही किया कि नामा0 सं0 33 के जरिये गोपाल वल्द चन्द्र जाति धाकड के स्थान पर केतागण दुर्गाशंकर एवं सत्यनारायण के खाते मे भूमि दर्ज की गई थी। किशना वल्द प्रभू का स्वर्गवास हो चुका है उनकी एक मात्र पुत्री फून्दीबाई का भी स्वर्गवास हो चुका है विवादित भूमि रेस्पो0 1 लगायत 7 के खाते मे दर्ज है रेस्पो0 1 लगायत 7 मृतक खातेदार किशना के उत्तराधिकारी नही है तथा उनका उक्त भूमि पर कोई हक व अधिकार नही है तथा ना ही कभी कब्जा रहा है इस आधार पर हुक्म जेरअपील निरस्त होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तथा नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 16.7.1960 निरस्त किया जाकर भूमि अपीलांट एवं रेस्पो0 नं0 8 के खाते दर्ज की जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्याया0 का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम–9 राजकीय अभिभाषक सुनी गई। शेष रेस्पो0 उपस्थित नही होने पर उनकी तामील पूर्ण मानी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा जाहिर किया कि विवादित भूमि अपीलांट के पिता दुर्गाशंकर व सत्यनारायण ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 1.7.58 को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर भूमि पर काबिज काश्त हुये थे नामा0 सं0 34 तस्दीक करने से पूर्व तहसीलदार ने भूमि के कब्जे काश्त की जांच नही की तथा उक्त नामान्तरकरण अपीलांट के पिता दुर्गाशकंर एवं अपीलांट की अनुपस्थिति मे एवं उन्हे सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही तस्दीक किया गया था जिसकी सर्वप्रथम जानकारी की तारीख से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की गई थी इसलिये अपील पेश करने मे हुई देरी कंडोन की जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिये था अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज करने मे त्रुटि की है अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय गैरकानूनी, त्रुटिपूर्ण अधिकार विहिन है। बहस मे आगे बताया कि धारा 19 राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार खातेदारी हक देने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को नही है। किशना वल्द प्रभू का स्वर्गवास हो चुका है उनकी एक मात्र पुत्री फून्दीबाई का भी स्वर्गवास हो चुका है विवादित भूमि रेस्पो0 1 लगायत 7 के खाते मे दर्ज है रेस्पो0 1 लगायत 7 मृतक खातेदार किशना के उत्तराधिकारी नही है तथा उनका उक्त भूमि पर कोई हक व अधिकार नही है तथा ना ही कभी कब्जा रहा है इस आधार पर हुक्म जेरअपील निरस्त होने योग्य है। अपने तर्क के समर्थन मे आरबीजे (24) 2017 पेज 555 आरआरटी 2017 (2) पेज 868, आरआरडी 1992 पेज 117,आरआरडी 1992 पेज 17, आरआरडी 1996 पेज 457, आरआरडी 1982 पेज 333 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय व नामा0 सं0 34 निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम–9 ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट करते हुये अपील अपीलांट खारिज करने का कथन किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणो पर गोर किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 कम–9 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। विवादित आराजी ख0 नं0 45 व 50 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा ग्राम सुरगली का कब्जे व जोतने के आधार पर किशना आ0 प्रभू जाति चमार के पक्ष मे तहसीलदार नैंनवा द्वारा नामान्तरकरण सं0 34 आदेश दिनांक 16.7.1960 तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तकरण को अपीलांट द्वरा अधीनस्थ न्यायालय मे इस आधार पर चुनोती दी गई कि स्व0 दुर्गाशंकर व सत्यनारायण द्वारा कुल भूमि रकबा 36 बीघा 17 बिस्वा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई थी उक्त भूमि मे से ख0 नं0 45 व 50 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा पर स्व0 दुर्गाशंकर का कभी कब्जा काश्त नही रहा। तहसीलदार द्वारा कब्जे काश्त की जांच नही की तथा ना ही अपीलांट्स के पिता स्व0 दुर्गाशंकर एवं सत्यनारायण को कोई सूचना दी गई। किशना का स्वर्गवास हो चुका है किशना की एक पुत्री फून्दी बाई थी उसका भी स्वर्गवास हो चुका है वर्तमान मे भूमि राजस्व रेकार्ड मे रेस्पो0 1 लगायत 7 के नाम दर्ज है जिनका आज तक भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा। इस कारण नामान्तरकरण सं0 34 निरस्तनीय था अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गोर नही कर अपील अपीलांट खारिज करने मे त्रुटि की है क्योंकि धारा 19 राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार खातेदारी हक देने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को नही है अपने तर्क के समर्थन मे आरबीजे (24) 2017 पेज 555 आरआरटी 2017 (2) पेज 868, आरआरडी 1992 पेज 117,आरआरडी 1992 पेज 17, आरआरडी 1996 पेज 457, आरआरडी 1982 पेज 333 का न्यायिक उद्धरण पेश किया। अपीलांट के तर्क के समर्थन मे जेरअपील निर्णय दिनांक 26.12.2012 एवं नामा0 सं0 34 दिनांक 16.7.1960 तथा पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का अवलोकन किया। नामान्तरकरण के अवलोकन से प्रकट है कि ख0 नं0 45 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा, ख0 नं0 50 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा कुल 2 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा को सम्वत 2012 से 2015 तक किशना आ0 छोगा चमार जोतता है। तहसीलदार द्वारा टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 19 के अनुसार किशना आ0 छोगा चमार को खातेदारी स्वीकृत की गयी है जिसकी अपील धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अंतर्गत पोषणीय नही है। राज0 काश्तकारी अधिनियम के पारित आदेश का प्रावधान अलग है तथा अपील मे किशना के सभी वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया। अपीलांट द्वारा नामा0 सं0 34 दिनांक 16.7.1960 को अधीनस्थ न्यायालय मे लगभग 52 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत कर चुनोती दी गई अतः अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मियाद बाहर थी। अपीलांट अपने अधिकार के लिये सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण मे प्रकट किया गया उक्त अभिमत विधिसम्मत होने से जेरअपील निर्णय दिनांक 26.12.22012 मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही है। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय विधिसम्मत होने से प्रश्नगत अपील प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक उद्धरण चस्पा नही होते है। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी द्वारा प्रकरण संख्या 22/अपील/2012 अन्तर्गत धारा 75 ले0 रेवेन्यू एक्ट बउनवान हेमराज वगेरा बनाम श्योजी आदि मे पारित निर्णय दिनांक 26.12.2012 यथावत रखा जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 22.3.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा